न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–165 / 2019

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम गोविन्द झा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
07/01/2020 14.01.2020	आदेश प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–611 / म0नि0को0 दिनांक–04.07.19 से प्राप्त नगर थाना कांड सं0–69 / 19 दिनांक 05.04.19 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 में जब्त मोटरसाईकिल रजि0 सं0–BR07L-3734 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण–पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात् वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान राज मैदान में पहुँचे तो जीप की रौशनी में देखा कि राज मैदान स्थित एक बड़ा सा मकान के उत्तर में तीन व्यक्ति खड़ा है, जो जीप की रौशनी देखकर भागने का प्रयास किया तो पुलिस बल द्वारा तीनों व्यक्ति को घेर कर पकड़ा गया। पकड़ाये व्यक्ति में से दो व्यक्ति के मुँह से शराब जैसा दुर्गन्ध आ रहा था। जबकि एक व्यक्ति मोटरसाईकिल रजि0 सं0–BR07L-3734 के साथ था। उक्त मोटरसाईकिल के डिक्की की तलाशी लिया गया तो डिक्की में से बिस्लेरी के 500*ml* पानी के बोतल में भरा करीब 400*ml* शराब बरामद हुआ, जिसे मोटरसाईकिल के साथ विधिवत् जब्त किया गया। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का यह भी कथन है कि पानी के बोतल में से मात्र 400*ml* शराब बरामद हुआ है, अतः विधि–सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा दो व्यक्ति को शराब पीये हुए हालत में पकड़ा गया तथा एक व्यक्ति जो वाहन स्वामी के पुत्र हैं, को गाड़ी के पास खड़े थे, की स्थिति में पकड़ा गया। वाहन से 400*ml* शराब पानी के बोतल से बरामद हुआ है, जो उसके साथ पकड़े गये साथी द्वारा रखा गया होगा। वाहन स्वामी के पुत्र का उक्त शराब से कोई मतलब नहीं है, और न ही वाहन स्वामी का उक्त जब्त शराब से काई सम्बद्ध है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय, इसके लिए भवदीय का जो आदेश यथा–बंध पत्र, शपथ आदि जमा करने को तैयार हूँ। विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख के अवलोकनोपरान्त स्पष्ट है कि जब्त वाहन से बिस्लेरी के 500*ml* पानी के बोतल से 400*ml* शराब बरामद हुआ है, अभिलेख संधारित तथ्य से यह भी स्पष्ट है कि ...	

के लिए रखा गया था। प्राथमिकी के अनुसार दो व्यक्ति नशे की हालत में था, जिस पर सक्षम न्यायालय में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है।

अतएव वाहन स्वामी को वाहन विमुक्ति हेतु बंधपत्र, वाहन के बीमित मूल्य के बराबर एक प्रतिभूति, उक्त थाना कांड से संबंधित वाद की समाप्ति तक उक्त वाहन को न बेचने, न ही रंग बदलने, पुनः इस प्रकार की घटना न होने और न्यायालय द्वारा वाहन को प्रस्तुत करने संबंधी आदेश पर वाहन को प्रस्तुत करने के संबंध में अंडरटेकिंग दाखिल करने पर वाहन विमुक्ति का आदेश सुनवाई के क्रम में दिया गया। तदालोक में वाहन स्वामी की ओर से बंधपत्र, अंडरटेकिंग तथा एक प्रतिभूति के रूप में अनिल कुमार मंडल, पिता–लक्ष्मी मंडल, मुहल्ला–गाँधीनगर कटरहिया, पो0–लक्ष्मीसागर, थाना–सदर, जिला–दरभंगा का वाहन सं0–BR07L-5585 पैशन प्रो मोटरसाईकिल कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0–22443/- (बाईस हजार चार सौ तैंतालीस) रूपये मात्र का दिनांक 14.01.2020 को दाखिल किया गया है।

प्रस्तुत कागजात विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित है, जिसे सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

अतएव वाहन स्वामी की ओर से दाखिल बंध पत्र, अंडरटेकिंग एवं प्रतिभूति के आलोक में नगर थना कांड सं0–69/19 दिनांक 05.04.19 में जब्त वाहन मोटरसाईकिल पंजीयन सं0– **BR07L-3734** को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

पारित आदेश की प्रति वाहन विमुक्ति हेतु थानाध्यक्ष, नगर दरभंगा को प्रस्तुत कागजात की छायाप्रति के साथ अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा